<u>संख्या-43/2018/1644/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018</u>

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग　　　　　　　　　　　लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2018

विषयः- सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक यूपीनेडा के पत्र संख्या-3603/नेडा-ईएसई-सौर ऊर्जा नीति/286/2017 दिनांक 11.10.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर 8.1.1 ब में यह प्राविधान है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जायेगेः-

(i) ग्रिड नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता।

(ii) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 100 प्रतिशत ऊर्जा क्रय करने का प्रस्ताव दिया जायेगा।

(iii) पूर्णतया थर्ड पार्टी सौर ऊर्जा विक्रय अनुमन्य होगा।

2- तद्नुक्रम में निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैः-

1. <u>दिशा- निर्देश संरचना</u> :

   निजी क्षेत्र में सोलर पार्क स्थापना के दिशा-निर्देश सौर ऊर्जा नीति-2017 के परिधि के अन्दर होगे।

2. <u>निजी सोलर पार्क विकास/स्थापना क्रियाविधि-</u>

   निजी निवेश द्वारा सोलर पार्क की स्थापना/विकास निम्न मोड में किया जायेगाः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

अ नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ सोलर पार्क की स्थापना :

अ1 स्थापित सोलर पावर पार्क से 100 प्रतिशत पावर यूपीपीसीएल को विक्रय :-

(i) इस स्थापना मोड के अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा अपनी पूर्ण equity पर सोलर पार्क की स्थापना की जायेगी।

(ii) इस सोलर पार्क स्थापना मोड में सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) निजी उद्यमी होगा ।

(iii) इस सोलर पार्क की स्थापना मोड के अन्तर्गत सेलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि पूर्णतया सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv)सोलर पार्क की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी।

(v)नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार की प्राईवेट सेक्टर में सोलर पार्क स्थापना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन बिडिंग के द्वारा किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिड आमंत्रित की जायेगी।

सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिडिंग, सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा पार्क स्थापना हेतु चिन्हित भूमि को विकसित करने हेतु विकास चार्ज (दर प्रति मेगावाट) एवं operation and maintenance charge प्रति मेगावाट सम्मिलित करते हुए कुल चार्ज जो सौर परियोजना विकासकर्ता से प्राप्त किये जायेगें, के आधार पर की जायेगी। सोलर पार्क स्थापना हेतु कुल मेगावाट क्षमता की आमंत्रित बिड में सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन bucket filling प्रक्रिया के अन्तर्गत आरोही क्रम में न्यूनतम कोटेड चार्ज के आधार पर किया जायेगा।

बिड में सफल सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा चिन्हित भूमि जिसके आधार पर बिड में भाग लिया जायेगा को स्वयं क्रय अथवा लीज पर प्राप्त करते हुए सोलर पार्क की स्थापना की जायेगी। चिन्हित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर सोलर पार्क स्थापना किये जाने की स्थिति में बिड में quoted एवं अनुमोदित कुल चार्ज (विकास चार्ज एवं operation and maintenance charge) में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(vi)सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा LOI (लेटर आफ इन्टेंट) निर्गत होने की तिथि से 06 माह के अन्दर भूमि का अन्तिमीकरण करते हुए भूमि क्रय अथवा लीज पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii)सोलर पावर पार्क विकासकर्ता निम्न कार्यो के सम्पादन/व्यवस्था/निर्माण हेतु उत्तरदायी होगा :-

1. सोलर पार्क के लिये भूमि प्राप्त करना, उक्त की लेवलिंग, डेवलपमेंट लैण्ड पार्सल की Plotting .
2. सोलर पार्क तक की अप्रोच रोड एंव सेलर पार्क के अन्दर विभिन्न प्लाटस के कनेक्टिंग एक्सेस (access) हेतु सड़क।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. सोलर पार्क के आन्तरिक विद्युत निकासी व्यवस्था हेतु पूलिंग स्टेशन एंव विद्युत पारेषण करने हेतु पारेषण तंत्र का निर्माण, मीटरिंग।

4. सोलर पार्क के लिये कनेक्टीविटी प्राप्त करना।

5. सौर परियोजनाओं की निर्माण हेतु जल उपलब्धता, आन्तरिक ड्रेनेज, बाढ़ से जलभराव को रोकने संबंधित व्यवस्था।

6. सोलर पार्क में टेलीकम्यूनिकेशन सुविधा प्रदान करना।

7. सोलर पार्क में वेयरहाऊस, पार्किंग आदि।

(viii)चिन्हित सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को सोलर पावर पार्क योजनान्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत केन्द्रीय वित्तीय सहायता रू. 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियेजना मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई), भारत सरकार से अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 60 प्रतिशत धनराशि सीधे परियोजना विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

(ix)सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजनान्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित माईलस्टोन के प्राप्ति पर अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

(x)सोलर पार्क के वाहय पारेषण विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र यथा पुलिंग स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पार्क के निकट सबस्टेशन का निर्माण करने का दायित्व स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी (यूपीपीटीसीएल) का होगा। यह निर्माण STU(स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी) द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन में उल्लिखित तकनीकी एंव कामर्शियल प्रोसिजर के अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(xi) भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदृणीकरण हेतु अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 40 प्रतिशत धनराशि सीधे STU (यूपीपीटीसीएल) को उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय-समय पर संशोधन के अनुसार एसटीयू द्वारा वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण अथवा सुदढ़ीकरण हेतु आंकलित व्यय का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किये जा रहे अंश के अतिरिक्त अवशेष धनराशि का वहन STU द्वारा की जायेगी। STU द्वारा उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति अपने एआरआर (ARR) में करते हुए की जायेगी।

(xii) सोलर पावर पार्क के अन्दर सौर परियोजनाओ की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा बिडिंग कराई जायेगी।

(xiii) सोलर पावर पार्क के अन्दर स्थापित सौर पावर परियोजनाओ से उत्पादित 100 प्रतिशत पावर यूपपीसीएल द्वारा क्रय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(xiv) इस श्रेणी के सोलर पावर पार्क को कनेक्टिविटी प्राप्त करने में वरीयता दी जायेगी।

(xv) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 18 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि में कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सेलर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टिविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। सोलर पावर पार्क स्थापना हेतु समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।

अ.2 स्थापित सोलर पावर पार्क से 100 प्रतिशत/आंशिक पावर तृतीय पक्ष को ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय :

(i) इस स्थापना मोड के अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा सोलर पार्क की स्थापना अपनी पूर्ण equity पर की जायेगी।

(ii) इस सोलर पार्क स्थापना मोड में सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) निजी उद्यमी होगा।

(iii) इस सोलर पार्क की स्थापना मोड के अन्तर्गत सेलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि पूर्णतया सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एस.पी.पी.डी) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) सोलर पार्क की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी।

(v) नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई) भारत सरकार की सोलर पार्क स्थापना दिशा-निर्देश के अनुसार सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन बिडिंग के द्वारा किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिड आमंत्रित की जायेगी।

सोलर पावर पार्क विकासकर्ता के चयन हेतु बिडिंग, सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पार्क स्थापना हेतु चिन्हित भूमि को विकसित करने हेतु विकास चार्ज (दर प्रति मेगावाट) एवं operation and maintenance charge प्रति मेगावाट सम्मिलित करते हुए कुल चार्ज जो सौर परियोजना विकासकर्ता से प्राप्त किये जायेगें, के आधार पर की जायेगी। सोलर पार्क स्थापना हेतु कुल मेगावाट क्षमता की आमंत्रित बिड में सोलर पावर पार्क विकासकर्ता का चयन bucket filling प्रक्रिया के अन्तर्गत आरोही क्रम में न्यूनतम कोटेड चार्ज के आधार पर किया जायेगा। बिड में सफल सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा चिन्हित भूमि जिसके आधार पर बिड में भाग लिया जायेगा को स्वयं क्रय अथवा लीज पर प्राप्त करते हुए सोलर पार्क की स्थापना की जायेगी। चिन्हित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर सोलर पार्क स्थापना किये जाने की स्थिति में बिड में Quoted एवं अनुमोदित कुल चार्ज (विकास चार्ज एवं operation and maintenance charge) में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(vi) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा LOI निर्गत होने की तिथि से 06 माह के अन्दर भूमि का अन्तिमीकरण करते हुए भूमि क्रय अथवा लीज पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता निम्न कार्यो के सम्पादन/व्यवस्था/निर्माण हेतु उत्तरदायी होगाः-

1. सोलर पार्क के लिये भूमि प्राप्त करना, उक्त की लेवलिंग, डेवलपमेंट लैण्ड पार्सल की Plotting।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. सोलर पार्क तक की अप्रोच रोड एंव सेलर पार्क के अन्दर विभिन्न प्लाटस के कनेक्टिंग एक्सेस (access) हेतु सड़क।

3. सोलर पार्क के आन्तरिक विद्युत निकासी व्यवस्था हेतु पूलिंग स्टेशन एंव विद्युत पारेषण करने हेतु पारेषण तंत्र का निर्माण, मीटरिंग।

4. सोलर पार्क के लिये कनेक्टिविटी प्राप्त करना।

5. सौर परियोजनाओं की निर्माण हेतु जल उपलब्धता, आन्तरिक ड्रेनेज, बाढ़ से जलभराव को रोकने संबंधित व्यवस्था।

6. सोलर पार्क में टेलीकम्यूनिकेशन सुविधा प्रदान करना।

7. सोलर पार्क में वेयरहाऊस, पार्किग आदि।

(viii) चिन्हित सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को सेलर पावर पार्क योजनान्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदनोपरांत केन्द्रीय वित्तीय सहायता रू. 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियेजना मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 60 प्रतिशत धनराशि सीधे परियोजना विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

(ix) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजनान्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित माईलस्टोन की प्राप्ति पर अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

(x) सोलर पार्क के वाहय पारेषण विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र यथा पुलिंग स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पार्क के निकट सबस्टेशन का निर्माण करने का दायित्व स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी (यूपीपीटीसीएल) का होगा। यह निर्माण STU द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन में उल्लेखित तकनिकी एंव कामर्शियल प्रोसिजर का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(xi) भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत वाहय पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदढ़ीकरण हेतु अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता 40 प्रतिशत धनराशि सीधे STU (यूपीपीटीसीएल) को उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय-समय पर संशोधन के अनुसार STU द्वारा वाहय पारेषण तंत्र के निर्माण अथवा सुदढ़ीकरण हेतु आंकलित व्यय का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किये जा रहे अंश के अतिरिक्त अवशेष धनराशि का वहन सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(xii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को सोलर पार्क के अन्दर पूर्णतया सौर पावर परियोजनाओ की तृतीय पक्ष को पावर विक्रय करने के लिए स्थापना हेतु स्वतंत्रता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xii) सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पावर पार्क के अन्दर आंशिक रूप से सौर परियोजना की स्थापना यूपीपीसीएल/डिस्कॉम को पावर विक्रय हेतु की जा सकती है। उक्त स्थिति में प्रस्तावित सौर परियोजना क्षमता स्थापना का आवंटन बिडिंग के द्वारा किया जायेगा।

(xiv) सोलर पावर पार्क की कनेक्टीविटी प्राप्त करने में श्रेणी अ 1 के बाद वरीयता दी जायेगी।

(xv) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 18 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सेलर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टीविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।

ब. निजी उद्यमी द्वारा बिना केन्द्रीय वित्तीय सहायता के सेलर पार्क की स्थापना।

(i) इस मोड के अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा बिना केन्द्रीय वित्तीय सहायता के सेलर पार्क स्थापना की जायेगी। सोलर पावर पार्क विकासकर्ता स्वतन्त्र होगा। सोलर पार्क की स्थापना open access की अनुमति तथा CTUअथवा STU से कनेक्टिवीटी प्राप्त करते हुए करने हेतु।

(ii) इस मोड के अन्तर्गत सोलर पावर पार्क के विकास एवं स्थापना हेतु किसी भी कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत इनकारपोरेटेड कम्पनी द्वारा स्वतः अथवा consortium के रूप में यूपीनेडा को आवेदन दिया जा सकता है।

(iii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पार्क की स्थापना एवं क्रय अथवा लीज पर प्राप्त की गयी भूमि पर की जायेगी।

(iv) सोलर पार्क का विकास एवं स्थापना हेतु निजी कम्पनी का टर्नओवर पिछले वर्ष में न्यूनतम रू. 1.00 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से होना आवश्यक है।

(v) एक स्थान पर न्यूनतम 50 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा सकता है।

(vi) सोलर पार्क का विकास एवं स्थापना के लिये निवेशक चयन एवं अन्य वाणिज्यक निर्णय लेने के लिये सोलर पावर पार्क विकासकर्ता स्वतंत्र होगा।

(vii) विकसित निजी सोलर पार्क के प्रबंधन एवं संचालन का पूर्णतयः दायित्व सेलर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

(viii) सोलर पार्क के अन्दर सौर पावर की विद्युत निकासी हेतु पारेषण तंत्र पूलिंग सबस्टेशन, मीटरिंग एंव सुविधायें जैसे आन्तरिक रोड़, जल उपलब्धता, अप्रोच रोड़ एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण का दायित्व सौर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

(ix) सोलर पार्क के लिये कनेक्टिविटी प्राप्त करने का पूर्ण दायित्व सौर पावर पार्क विकासकर्ता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(x) निजी सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा Long term open access एवं CTU से कनेक्टिवीटी प्राप्त करने के लिए अधिकृत होने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से सोलर पार्क योजनान्तर्गत विकसित किये जा रहे सोलर पार्क को सोलर पार्क का दर्जा (Status) प्राप्त किया जाना होगा।

(xi) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से सोलर पार्क का स्टेटस (दर्जा) प्राप्त करने हेतु सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा सोलर पार्क विकसित करने का प्रस्ताव एंव पार्क स्थापना के लिए 100 प्रतिशत भूमि क्रय अथवा लीज पर प्राप्त होने सम्बन्धित अभिलेख एवं अन्य वांछित अभिलेख नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,(एम.एन.आर.ई) भारत सरकार को निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रेषित किये जाने होगें।

(xii) सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) में पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत एसटीयू में कनेक्टीविटी हेतु सम्पर्क किया जायेगा। एसटीयू द्वारा Technical feasibility का परीक्षण करते हुये Open access की अनुमति के साथ कनेक्टीविटी अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

(xiii) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत " Grant of connectivity to intra-state Transmission Systems Regulation 2010" अथवा समय-समय पर संशोधन के अनुसार वाह्य पारेषण तंत्र के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर आकंलित व्यय का वहन सोलर पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(xiv) सोलर पार्क विकास करने हेतु सोलर पार्क विकासकर्ता द्वारा पंजीयन के पश्यात 12 माह के अन्दर विद्युत निकासी हेतु STU/CTU से कनेक्टिविटी प्राप्त किये जाने की कार्यवाही तथा फाईनेन्शीयल क्लोजर की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

(xv) सोलर पावर पार्क के अन्दर सौर पावर परियोजनाओ की स्थापना यूपीपीसीएल/डिस्कॉम को पावर विक्रय हेतु अथवा open access के द्वारा तृतीय पार्टी को विक्रय हेतु की जा सकती है। यूपीपीसीएल/डिस्कॉम को पावर विक्रय करने हेतु सोलर पावर परियोजना की स्थापना की स्थिति में उक्त परियोजना का आंवटन यूपीनेडा द्वारा आमंत्रित बिडिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(xvi) सोलर पार्क विकसित करने हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 को क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी उत्तर प्रदेश नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) में पंजीयन शुल्क रू. 5000.00 प्रति मेगावाट $ जीएसटी (अनुमन्य अनुसार) के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन दिया जायेगा।

(xvii) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त आवेदन प्रारूप में उल्लेखित अभिलेख भी संलग्न किये जायेगे।

(xviii) सोलर पावर पार्क विकासकर्ता को 24 माह का समय पार्क की स्थापना/विकास के लिये उपलब्ध होगा। उक्त अवधि कार्य नही पूर्ण किये जाने की स्थिति में सेलर पावर पार्क विकसित करने का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रदान की गयी ग्रिड कनेक्टिविटी अन्यथा को दे दी जायेगी। समय विस्तार केवल force majeure की स्थिति में देय होगा।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कृपया उपरोक्तानुसार सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः43/2018/1644(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0पी0टी0सी0एल0,शक्ति भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(चारूलता)
सयुंक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।